उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
23 एलनगंज, इलाहाबाद- 211002
विज्ञापन संख्या 02/2016 प्रवक्ता पदों हेतु

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि : 06/06/2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि : 06/06/2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि : 03/07/2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 03/07/2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि : 05/07/2016

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या. 2/2016 प्रवक्ता पदों हेतु जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे की सारणी- 1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अभ्यर्थी को एक विषय के लिए केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है ।

<u>विशेष सूचना</u>

रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात्द परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। / ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र -

<u>ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –</u>

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति)online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

भांति -करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली "ऑनलाइन आवेदन" समझ लें और तदनुसार आवेदन करें ।

बोर्ड की वैबसाइट www.upsessb.org पर **"टी०जी०टी०/ पी०जी०टी० परीक्षा २०१६ के लिये ऑनलाइन आवेदन"** पर क्लिक करने पर बोर्ड की वैबसाइट पर **"ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स"** (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं -:

1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)

2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)

3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)-

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशानिर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू - एडवरटिजमेंट(view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा -:

प्रथम स्तर –

अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म - परिशिष्ट)2 प्रदर्शित होगा। **(रजिस्ट्रेशन फार्म में अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, शैक्षिक योग्यता संबंधी एवं अन्य सूचनाएँ सहीसही भरें। बाद में - पत्र स्वीकार होगा।-इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना** फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट)Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट))- परिशिष्ट) 3प्रदर्शित होगा (, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

द्वितीय स्तर –

परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तो को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ईसे परीक्षा शुल्क जमा (काड्र्स / इंटरनेट बैंकिंग) चालान या ऑनलाइन माध्यमों- किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि)dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ़र्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग डेब /िट कार्ड अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई चालान के लिए-SBI ब्रांच का चयन करें। ईचालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर - जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दियेगए निर्देशों के

अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ईचालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की-, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात (चालान में मुद्रित होगी-ई) रिसी -विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ईप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई- चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वाराअभ्यर्थी को वापस की गयी ई चालान की प्रति में बैंक द्वारा-ट्रांजेक्सन आई जरनल / डी .नंबर छपी हुई होगी जिसका (.........डीयू) पत्र भरते समय-उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (.........डीयू)ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।-

तृतीय स्तर -

बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (बजे के पश्चात 2 अपरान्ह) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट)upload) करेंगे। । फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया -परिशिष्ट)7में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन (**"व्यू एप्लीकेशन फार्म"** कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सहीसही भरी गयी है और - **"सबमिट"** पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सहीसही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की - निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, **यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा।** इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बटन को "सबमिट" -क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोटअभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम -, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और आयोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार न होगा।

एक बार आवेदन करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। "सबमिट"

<u>आवेदन शुल्क</u> –

ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ईकलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क -

-:स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है

क्र॰ सं॰	**श्रेणी**	**आवेदन शुल्क**	**ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क**	**ऑनलाइन + आवेदन शुल्क) योग (प्रक्रिया शुल्क**
1-	अनारक्षित (सामान्य)	600.00	25.00	625.00
2-	अन्य पिछड़ा वर्ग	600.00	25.00	625.00
3-	अनुसूचित जाति	350.00	25.00	375.00
4-	अनुसूचित जनजाति	150.00	25.00	175.00

<u>नोट</u> -

1. **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1-से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।**
2. **विकलांग अभ्यर्थी अपने वर्ग की निश्चित फीस का आधा भुगतान करेगा।**

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ (सेकंड रजिस्ट्रेशन), पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी

दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। **अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही ”सबमिट“ स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।**

आयु सीमा -:

आयु 1 जुलाई 2016 को 21 वर्ष से कम न हों।

वेतनमान :-

1. प्रवक्ता संवर्ग 9300-34800 ग्रेड पे 4800

चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रवक्ता पदों का विषयवार सूची परिशिष्ट ’क’ बालक एवं बालिका सहित कुल 1344 पद रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-:

सारणी1-

परिशिष्ट "क" 02/2016 प्रवक्ता पदों की विषयवार सूची												
	प्रवक्ता बालक वर्ग 01							प्रवक्ता बालिका वर्ग 02				
क्र.सं./विषय कोड सं.	विषय	सा0 जा0	पि0 जा0	अ0 जा0	अ0 ज0 जा0	योग		सा0 जा0	पि0 जा0	अ0 जा0	अ0 ज0 जा0	योग
1	भौतिक विज्ञान	41	26	9	0	76		2	0	2	0	4
2	रसायन विज्ञान	43	29	17	0	89		2	2	1	0	5
3	अंग्रेजी	71	30	20	2	123		8	5	6	0	19
4	हिन्दी	97	42	33	2	174		18	7	4	0	29
5	संस्कृत	78	33	23	1	135		11	4	3	0	18
6	जीव विज्ञान	36	15	6	0	57		1	3	1	0	5
7	वाणिज्य	9	6	4	0	19		0	0	0	0	0
8	गणित	23	25	11	0	59		3	1	0	0	4
9	इतिहास	26	12	8	0	46		0	2	2	0	4
10	नागरिक शास्त्र	35	26	10	0	71		7	3	3	0	13
11	अर्थशास्त्र	44	22	13	1	80		11	2	1	0	14
12	शिक्षा शास्त्र	9	5	8	0	22		3	1	0	0	4
13	मनोविज्ञान	3	3	3	0	9		3	3	2	0	8
14	कृषि	12	6	5	0	23		0	0	0	0	0
15	भूगोल	55	35	21	1	112		1	1	1	0	3
16	समाज शास्त्र	22	14	6	0	42		4	1	1	0	6
17	कला	14	11	3	0	28		3	1	2	0	6
18	उर्दू	0	0	0	0	0		3	0	0	0	3
19	वनस्पति विज्ञान	1	1	0	0	2		0	0	0	0	0
20	शारीरिक शिक्षा	3	1	1	0	5		1	0	0	0	1
21	संगीत	0	0	0	0	0		1	0	0	0	1
22	संगीत गायन	0	0	0	0	0		2	1	1	0	4
23	संगीत वादन	1	1	0	0	2		3	1	0	0	4
24	गृहविज्ञान	0	0	0	0	0		5	2	2	0	9
25	सैन्य विज्ञान	2	0	1	1	4		0	0	0	0	0
26	तर्क शास्त्र	1	0	1	0	2		0	0	0	0	0
	सम्पूर्ण योगः	626	343	203	8	1180		92	40	32	0	164
	कुल पदों की संख्या :		1344									

अर्हता की तिथिः- शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि मानी जायेगी।

शैक्षिक योग्यता : (प्रवक्ता पद के लिए)

अभ्यर्थियों की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक होना आवश्यक है।

1. (A) हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु हिन्दी एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी।

   (B) हिन्दी में एम0ए0 के साथ-साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु बी0ए0 में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी।

2. भौतिक विज्ञान के लिये किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में एम0एससी0 अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सम्बन्धित विषय में स्नाकोत्तर डिप्लोमा के साथ सम्बन्धित विषय सहित बी0एससी0।

3. रसायन विज्ञान के लिये रसायन विज्ञान में एम0एससी0 अथवा रसायन विज्ञान में तृतीय वर्षीय पाठयक्रम के साथ (आनर्स) अथवा यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायो केमेस्ट्री) अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एससी0।

4. जीव विज्ञान के लिये वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0एससी0 अथवा किसी विश्वविद्यालय से उ0प्र0 शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सहित बी0एससी0 अर्ह है।

5. अर्थशास्त्र प्रवक्ता के लिये एम0काम0, बी0काम0 में (अर्थशास्त्र एक विषय सहित),

6. गृहविज्ञान के लिये गृह अर्थशास्त्र या गृह कला (होमआर्ट) में स्नातकोत्तर उपाधि,

7. कला प्रवक्ता के लिये चित्रकला अथवा रंजनकला में स्नातकोत्तर उपाधि

8. संगीत गायन या वादन के लिये संगीत की सम्बन्धित शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता धारक भी अर्ह है।

भर्ती प्रक्रियाः(प्रवक्ता पद हेतु :

1- प्रवक्ता पद की सीधी भर्ती हेतुः- प्रतिशत का निर्धारित पाठ््यक्रम से सम्बन्धित एक लिखित वस्तु परक (बहुविकल्पी) प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा में दिये उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्न के क्रमांक के सामने बने चार गोलों में से सही गोले को बाल पेन की काली स्याही में भरना होगा।

2- प्रवक्ता पद हेतुः- प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा, विषिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन बोर्ड नियमावली 13 जुलाई 1998 एवं चयन बोर्ड (प्रथम संषोधन) नियमावली 7 अगस्त 2001 में विहित प्रक्रियानुसार होगा।

परीक्षा के अंकों का विभाजन इस प्रकार हैः-

क) लिखित परीक्षा के आधार पर 85 प्रतिशत अंक।

ख) विशिष्टि योग्यता के आधार पर 5 प्रतिशत अंक अर्थात्

1- पी0एच0डी0/डी0फिल0 की उपाधि रखने के लिये 2 प्रतिशत अंक।

2- शिक्षा निष्णात (एम0एड0) की उपाधि रखने के लिये 2 प्रतिशत अंक।

3- शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि रखने के लिये 1 प्रतिशत अंक (परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखण्ड (2) के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखण्ड (3) के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

4- किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिये 1 प्रतिशत अंक।

ग) साक्षात्कार के आधार पर 10 प्रतिशत अंक प्रवक्ता पद की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में प्रश्नपत्र दो घंटे की अवधि का होगा, जिसमें सम्बन्धित विषय के स्नाकोत्तर स्तर के इण्टर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुपरक (बहुविकल्पीय) होगा जिसमें दिये गये चार उत्तरों में से एक उत्तर सही होगा। सही गोले की उत्तरपत्रक में बाल पेन से काला करना होगा।

परीक्षा केन्द्रः-

निम्नलिखित जिलों के जिला मुख्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम से भरे गये किन्ही तीन विकल्पों में से यथासम्भव सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। परन्तु अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र समय सारिणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय पर दी जायेगी।

आगरा	बरेली
इलाहाबाद	मेरठ
कानपुर	लखनऊ
गोरखपुर	वाराणसी
झाँसी	फैजाबाद
मुरादाबाद	आजमगढ़

नोट : यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेशित प्रवेश पत्र के केन्द्र से इतर केन्द्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आरक्षणः-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त अधियाचनों के अनुसार है तथा अन्य प्रकार के आरक्षण भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिये ही अनुमन्य है।

अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अनुदेशः-

1- प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से

छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

2- कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसमें उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

3- महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिये पात्र है, परन्तु वांछित किसी एक वर्ग (बालक या बालिका) का ही उल्लेख आवेदन पत्र में यथास्थान करना आवश्यक होगा, किन्तु यह बात संगीत विषय के अध्यापक के लिये नेत्रहीन पुरूष अभ्यर्थी हेतु लागू न होगा।

4- आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो अवश्य लगायें।

5- केवल एक विषय एवं एक वर्ग के लिये केवल एक आवेदन पत्र मान्य होगा।

6- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को जो अन्य प्रान्त के मूल निवासी हैं आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

7- अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है। अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। यदि पूर्णतः पात्र हो, तभी आवेदन पत्र आन लाइन भरें अन्यथा नहीं। किसी भी अन्य दशा में आवेदन पत्र शुल्क न तो लौटाया जायेगा और न ही अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जायेगा।

8- प्रवक्ता पद की परीक्षाएँ अलग-अलग तिथियों में सम्पन्न होगी,, पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।

9- किसी भी विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा।

<u>नोट</u> -परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।

<u>आवेदन के लिए सामान्य अनुदेश</u> -

1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4- वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से)विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम (,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल,के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर 2015 प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का विवाहित या) पुत्र और पुत्री (1) (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) या पौत्री अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) पौत्र अर्थात (2) अथवा (अविवाहित विवाहित या अविवाहित हैं।

8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2008-2-का-2008/1/18, दिनांक उक्त प्रमाण पत्र में में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि 2008 फरवरी 03 अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

9- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर चयन बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

10- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

11- अभ्यर्थी के अर्ह /अनर्ह होने के संबंध में /चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

12- एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी ।

13- चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को था 1993 आरक्षण अधिनियम (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा संशोधित में विद्यमान, जिनसे वे संबन्धित हैं।

14- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं , ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे । महिला अभ्यर्थिनियों के मा (सामान्य)मले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा ।-

-**<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>** –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2- ऑनलाइन आवेदन □सबमिट□ हो जाने के पश्चात चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

4- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा ।

5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन □सबमिट□ नहीं होगा।

8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा (विस्तृत तृतीय स्तर पर देखें)।

9- चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर **लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा**, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो चयन बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।

11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा ।

12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन □सबमिट□ करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

13- चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा चयन बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार चयन बोर्ड का होगा।

15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0532-2466130, 2466841, 2466851 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

16- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि ------------------ तथा आवेदन स्वीकार (सबमिट) किए जाने की अंतिम तिथि --------------------- है।

परिशिष्ट–8

उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है।

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.......................................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ....

Son/Wife/Daughter of Shri .... age ....

Sex .... identification mark (S) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr..............)	(Dr..................)	(Dr.......)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ______________ निवासी ______________ ग्राम ______________ तहसील ______________ नगर ______________ जिला ______________ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ______________ पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ______________ के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर ______________	पूरा नाम ______________
स्थान ______________	मुहर ______________
दिनांक ______________	जिलाधिकारी ______________
	सील ______________

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप – 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ______________ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ______________ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ______________ निवासी ______________ पूरा पता ______________ ने दिनांक ______________ से दिनांक ______________ तक ______________ (स्थान का नाम) में आयोजित ______________ (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ______________ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ______________ में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ______________	हस्ताक्षर ______________
दिनांक ______________	नाम ______________
	पद ______________
	संस्था का नाम ______________
	मुहर ______________

नोट: यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर ....
दिनांक	नाम ....
	पद ....
	संस्था का नाम ....
	पता ....
	मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्याल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर ....
दिनांक	नाम ....
पद	संस्था का नाम ....
	मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रशन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर ....
दिनांक	नाम ....
	पद ....
	संस्था का नाम ....
	पता ....
	मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव